



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082021-229161  
CG-DL-E-19082021-229161

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3150]  
No. 3150]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 2021/श्रावण 28, 1943  
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 2021/SHRAVANA 28, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2021

का.आ. 3403(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा 435 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन अपराधों का त्वरित विचारण करने के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करती है, अर्थात्:-

सारिणी

क्र.सं.	न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1	सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय, रांची	झारखंड राज्य

[फा.सं.01/12/2009-सीएल-1 (खंड-IV)]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th August, 2021

**S.O. 3403(E).**—In exercise of the powers conferred by section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Jharkhand hereby designates the Court mentioned in column (2) of the Table below as Special Court for the purpose of providing speedy trial of offences under clause (b) of sub-section (2) of section 435 of the said Act, namely:-

**Table**

Sl. No.	Court	Jurisdiction as Special Court
(1)	(2)	(3)
1	Court of Sub-Divisional Judicial Magistrate at Ranchi	State of Jharkhand.

[F.No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

K.V. R. MURTY, Jt. Secy.